कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सत्र : 2019–20

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रमुख चरण

- ❖ पंजीयन।
  (Registration)
- ❖ पंजीयन के दौरान दस्तावेजों का ऑनलाईन ई–सत्यापन अथवा पंजीयन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत।
  (Online e-verification of documents or Documents Verification at Authorized Help Centers)
- ❖ प्राथमिकताओं का चयन एवं लॉकिंग ओ.टी.पी द्वारा।
  (Preference selection/Choice Filling & Locking through OTP)
- ❖ ऑनलाईन आवंटन। **(Allotment)**
- ❖ आवंटित संस्था में उपस्थिति, प्रवेश एवं महाविघालय का शुल्क भुगतान।
  (Reporting and admission in allotted College)

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने के माध्यम

- इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/माबाईल के माध्यम से कहीं से भी।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों से (**Help Centers** की सूची ई प्रवेश पोर्टल **epravesh.mponline.gov.in** एवं विभाग की बेबसाईट **highereducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी)
- आपने नजदीकी एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

भुगतान करने के माध्यम

- इंटरनेट बैकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यू.पी.आई के माध्यम से।
- आपने नजदीकी एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

पंजीयन (Registration)

सभी महिला उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण फॉर्म और पोर्टल शुल्क नि: शुल्क होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये पंजीकरण शुल्क और 50 रुपये पोर्टल शुल्क लागू होगा।

- अभ्यर्थी को पंजीयन की कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित जानकारी अपने साथ रखना आवश्यक होगीः–

  हाई सेकण्डरी स्कूल (12वीं) परीक्षा की अंकसूची, अर्हकारी परीक्षा (यथा बारहवीं/स्नातक) की अंकसूची, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), किसी भी तरह का आरक्षण या अधिभार संबंधी प्रमाण–पत्र (यथा SC/ST/OBC/S/FF/Divyang /NCC/HEDEmp./JK) (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं अभ्यर्थी का साईन, अभ्यर्थी का मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी, (काउंसलिंग सबंधित सचूनाओ की प्राप्ति हेतु)

- (Basic Details Tab)- पंजीयन फार्म में अभ्यर्थीयों को सबसे पहले अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी तथा उसके बाद अभ्यर्थी का मोबाईल नंबर जिस पर ओ.टी.पी के माध्यम से सत्यापन होने के बाद अभ्यर्थी को अपना एक पासवर्ड निर्मित करना होगा।
  अगर अभ्यर्थी द्वारा हाई सेकण्डरी स्कूल (12वीं) परीक्षा मध्य प्रदेश, भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उत्तीण की है तो उन अभ्यर्थीयों को पंजीयन फार्म में अपने (12वीं) परीक्षा का रोल नं. , उत्तीण वर्ष एवं माता के नाम के माध्यम से अपना फार्म भरना होगा।

- (Contact Details Tab)- बेसिक जानकारी के उपरांत अभ्यर्थीयों को अपना पत्राचार का विवरण भरना होगा।

- (Reservation & Weightage Tab)- अभ्यर्थीयों को अपनी पात्रता अनुसार अपने श्रेणी एवं अधिभार का चयन करना होगा। (चुनाव करने से पूर्व नियम पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ लें)

- (Qualifications)- अभ्यर्थीयों को अपनी हाई सेकण्डरी स्कूल (12वीं) परीक्षा के विवरण की जानकारी पंजीयन फार्म के अनुसार भरनी होगी।

- (Upload Photo and Sign)- सभी अभ्यर्थीयों को अपना नवीन फोटो एवं अपने हस्ताक्षर को आनलाईन पंजीयन फार्म में अपलोड करना होगा।

- (Misconduct Details)- यदि किसी प्रकार को कोई प्रकरण किसी अभ्यर्थी पर है तो वह उसकी जानकारी देवें।

- (Print Preview)- पंजीयन फार्म पूर्ण होने के उपरांत भुगतान से पूर्व एक बार अपने पंजीयन फार्म को ठीक तरह से जॉच लेवें। पंजीयन फार्म के भुगतान से पहले अभ्यर्थी अपने पंजीयन फार्म में किसी भी तरह का संशोधन वह कर सकता है, परन्तु भुगतान पश्चात अभ्यर्थी किसी भी तरह का संशोधन नही कर सकेगें।

- (Pay Registration Fee)- ऑनलाईन पंजीयन फार्म का भुगतान अभ्यर्थी इंटरनेट बैकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यू.पी.आई एवं नजदीकी एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से कर सकते। (भुगतान की रसीद संभाल कर रखे)

दस्तावेजों का सत्यापन एवं त्रुटि सुधार
(Documents Verifications and Error Corrections)

- अभ्यर्थीयों अपने निकटस्थ सहायता केन्द्रों के माध्यम से अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिर्वाय है। (**Help Centers** की सूची एम पी ऑनलाईन के ई प्रवेश पोर्टल **epravesh.mponline.gov.in** एवं विभाग की बेबसाईट **highereducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी)

- ऐसे अभ्यर्थी जिनके पंजीयन रसीद में ऑनलाईन सत्यापन की स्थिति (Online Verification Status) में Verified प्रदर्शित है उन्हें दस्तावेजों का सत्यापन कराना आवश्यक नहीं है शेष अन्य सभी अभ्यर्थीयों (Not Verified अभ्यर्थी) को दस्तावेजो को सत्यापन करना आवश्यक होगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जिनके पंजीयन फार्म के भुगतान पश्चात कोई त्रुटि रह जाती या च्वाईस फिलिंग भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो एसे अभ्यर्थीयों को भी निकटस्थ सहायता केन्द्रों के माध्यम से त्रुटि का सत्यापन होने के बाद सहायता केन्द्रों द्वारा उनके लिये एडिट सुविधा खोल दी जावेगी एवं वह अभ्यर्थी ऑनलाईन अपनी को त्रुटि को सुधार सकता है। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि सुधार होने के पश्चात **पुनः** उसको सहायता केन्द्र द्वारा सत्यापन करवाना होगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा **Help Centers** सत्यापन के पश्चात भी कोई त्रुटि रह जाती है तो ऐसे अभ्यर्थीयों का त्रुटि सुधार लीड कॉलेज के माध्यम से कराया जा सकेगा।

- दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके अभ्यर्थी, यदि काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेने के इच्छुक है, तब उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना आवश्यक नही होगा।

प्राथमिकताओं का चयन एवं लॉकिंग ओ.टी.पी द्वारा

(Preference selection/Choice Filling & Locking through OTP)

- अभ्यर्थी द्वारा कम से कम एक एवं अधिकतम 9 सस्थाओ/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेगें।

- अभ्यर्थी प्राथमिकताक्रम (Choice) लॉक करने से पूर्व चयनित प्राथमिकताक्रम को कितनी भी बार बदल सकते है।

- अभ्यर्थी को प्राथमिकताक्रम (Choice) लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को, एक One Time Password (OTP) उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि करने पर चयनित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

- मेरिट के अनुसार प्राथमिकताक्रमवार एवं आरक्षण नियमों के अनुसार आवंटन किया जावेगा एवं आवंटन पत्र जारी होगा।

- आंवटित अभ्यर्थीयों को अपना ऑनलाईन आवंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर आवंटित संस्था में जाना होगा।

आवंटित संस्था में उपस्थिति, प्रवेश एवं महाविघालय का शुल्क भुगतान
(Reporting and admission in allotted College)

- अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व आवंटित संस्था में आवंटन पत्र के साथ–साथ समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा।
- अगर अभ्यर्थी विभाग के किसी योजना के अंतर्गत पात्र है तो वह उस योजना का ऑप्शन आवंटित संस्था में देवें।
- आवंटित संस्था में रिपोर्टिंग एवं संस्था के शुल्क भुगतान के पश्चात ही अभ्यर्थी का प्रवेश (Provisional Admission) उस सीट पर माना जावेगा। अभ्यर्थी संस्था से ऑनलाईन प्रवेश पर्ची (Provisional Admission Slip) प्राप्त कर उसका सूक्ष्मता से अवलोकन अवश्य कर लेवें।
- प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी तथा अन्य विवरण वेबसाइट पर "ट्रैक स्टूडेण्ट स्टेटस" (Track Student Status) लिंक से सुनिश्चित कर सकते है।
- उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करना होगा।

प्रवेश से निरस्तीकरण
(Admission Cancellation)

- किसी भी चरण में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगा।
- छोड़ने के लिये स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (TC) प्राप्त करना होगा।